21/10/22

मिसल वास्ते ...बहस... हेतु
दिनांक 18/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

18/11/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु बहस समायत की गई। प्रार्थी वकील ने नाम संशोधन किये जानें बाबत-अपनी बहस में जाहिर किया।

पैरोकार राज नें भी अपनी बहस में जाहिर किया कि रिपोर्ट दिनांक 10/11/2022 को प्रस्तुत कर दी गयी है। एवं नाम में संशोधन किये जानें बाबत अपनी सहमति व्यक्त कर रहा हूँ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत शुद्धि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही सालासर मौजा सालासर के खसरा नम्बर- 310, खाता सं० 53 में तादादी 15.36 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/9 अविभाजित हिस्सा है।

जमाबंदी / रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र पूर्णाराम लिखा गया है

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

ख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो गलत अंकित है। प्रार्थी के दस्तावेजों में सही नाम किशनलाल पुत्र पूर्णाराम है। प्रार्थी का तमाम सरकारी रिकार्ड इसी नाम से बने है, प्रार्थी उक्त जमाबंदी व तदआधारित अन्य दस्तावेजों मे स्वयं के नाम का शुद्धिकरण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि किशनाराम के स्थान पर किसनलाल पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर (रामपुरा बस्ती) बीकानेर अंकन किया जावे आदि - आदि। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं रिपोर्ट प्राप्त कीगई रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। हमने प्रार्थना - पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात एवं वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का वास्तविक नाम किसनलाल ही है अतः राजस्व रिकार्ड में किशनाराम के स्थान पर किसनलाल अंकन किया जाकर शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम रोही सालासर के खाता संख्या - 53, खसरा नम्बर 310 तादादी 15.36 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/9 अविभाजित उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला- बीकानेर	

तारीख हुक्म	[illegible]
	हिस्सा बहिस्सा बराबर है।
	ग्राम सालासर के समस्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किशनाराम के स्थान पर किसनलाल पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर (रामपुरा बस्ती) बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर शुद्ध कर नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
	तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि तहसील कोलायत के ग्राम रोही सालासर मौजा सालासर के खाता संख्या 53, खसरा नं. 310 तादादी 15.36 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी के 1/3 अविभाजित हिस्सा मे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमबंदी आदि मे किशनाराम के स्थान पर किसनलाल पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल शुद्ध कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना करें।
	तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।
	प्रार्थना-पत्र पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 18/11/2022 को सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर)
	उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर